रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2009/ज्येष्ठ 28, 1931
No. 359] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2009/JYAISTHA 28, 1931

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2009

सा.का.नि. 429(अ).—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कयर बोर्ड द्वारा बनाए गए और केन्द्र सरकार द्वारा पुष्टि किए गए निम्नलिखित उप-नियमों को कयर बोर्ड (सेवा) उप-नियम, 1983 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की कथित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित प्रकाशित किया जाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(i) इन उप-नियमों को कयर बोर्ड (सेवा) संशोधान उप-नियम, 2009 कहा जाएगा ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **अनुसूची का संशोधन.**—कयर बोर्ड (सेवा) उप-नियम, 1983 में, अनुसूची में, प्रवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए संबंधित कॉलम 6, 7 और 9 में आने वाली प्रविष्टियों को क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

अनुसूची

6	7	9
"27 वर्ष से अधिक नहीं । (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिलनीय । **टिप्पणी :** आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी और असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संघशासित प्रदेश में उनके लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी"।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री । (ii) कम्प्यूटर एप्लीकेशन और वर्ड प्रोसेसिंग में जानकारी सहित एक वर्ष का अनुभव ।	"पदोन्नति न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा"।

[फा. सं. 2(2)/2009-कयर]
शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य उप-नियमों को भारत के राजपत्र में दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 की संख्या का.आ. 4481, के माध्यम से प्रकाशित किया गया और निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के माध्यम से संशोधन किया गया,

(i) का.आ. 4893 दिनांक 19-10-1985
(ii) का.आ. 158(अ)दिनांक 03-03-1987
(iii) का.आ. 187(अ)दिनांक 15-03-1989
(iv) का.आ. 900(अ)दिनांक 02-11-1989
(v) का.आ. 5(अ)दिनांक 02-01-1990
(vi) का.आ. 460(अ) दिनांक 06-06-1990
(vii) का.आ. 60(अ) दिनांक 21-01-1992
(viii) का.आ. 304(अ) दिनांक 30-04-1992
(ix) का.आ. 154(अ) दिनांक 27-02-1997
(x) सा.का.नि 484(अ) दिनांक 18-08-2006

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2009

G.S.R. 429(E).—The following Bye-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), further to amend the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983 and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by sub-section (2) of the said Section 27 of the said Act, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These Bye-laws may be called the Coir Board (Services) Amendment Bye-laws, 2009.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Schedule.**—In the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983, in the Schedule, for the entries occurring in columns 6, 7 and 9 relating to the post of Upper Division Clerk, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

SCHEDULE

6	7	9
"Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep".	(i) Degree in any discipline from a recognized university. (ii) One year experience of Knowledge in Computer application and word processing.	"Promotion failing which by direct recruitment"

[F. No. 2(2)/2009-Coir]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note : The principal Bye-laws were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 4481, dated the 17th December, 1983 and amended, *vide*, notification numbers :—

(i) S.O. 4893 dated 19-10-1985;
(ii) S.O. 158(E) dated 03-03-1987;
(iii) S.O. 187(E) dated 15-03-1989;
(iv) S.O. 900(E) dated 02-11-1989;
(v) S.O. 5(E) dated 02-01-1990;
(vi) S.O. 460(E) dated 06-06-1990;
(vii) S.O. 60(E) dated 21-01-1992;
(viii) S.O. 304(E) dated 30-04-1992;
(ix) S.O. 154(E) dated 27-02-1997;
(x) G.S.R. 484(E) dated 18-08-2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.